-24-

[illegible]
ग्राम्य विकास अनुभाग-6
संख्या-[illegible] /38-6-2013-[illegible]
लखनऊ: दिनांक 31 मार्च, 2013

कार्यालय ज्ञाप

भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों की अपेक्षानुसार प्रदेश में ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता सम्बन्धी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु सम्बन्धित विभागों के कार्यों में बेहतर तालमेल सुनिश्चित करने की दृष्टि से कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति एवं सुरक्षा, स्वच्छता, स्वास्थ्य तथा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट आदि विषयों को शामिल करते हुए एक समिति गठित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2- उपर्युक्त के क्रम में एतद्द्वारा समिति निम्नवत गठित की जाती है:-

1.	कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन	-	अध्यक्ष
2.	प्रमुख सचिव/सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	-	सदस्य
3.	प्रमुख सचिव/सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	-	सदस्य
4.	प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	-	सदस्य
5.	प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	-	सदस्य
6.	प्रमुख सचिव/सचिव, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	-	सदस्य
7.	आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश	-	सदस्य
8.	निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0, लखनऊ	-	सदस्य
9.	प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ	-	सदस्य
10.	यूनीसेफ के प्रतिनिधि	-	सदस्य
11.	अध्यक्ष द्वारा नामित 02 स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि जो इस कार्य क्षेत्र विशेष से सम्बन्धित हों	-	सदस्य
12.	अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ	-	सदस्य संयोजक

3- उपर्युक्त के अतिरिक्त उक्त समिति में आवश्यकतानुसार विषय विशेषज्ञों / अधिकारियों को विशेष आमंत्री के रूप में बैठक में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया जा सकता है।

4- उपरोक्त समिति द्वारा वर्णित उद्देश्य की पूर्ति हेतु अपेक्षित नीति विषयक एवं क्रियान्वयन सम्बन्धी मामलों पर संस्तुति दी जायेगी एवं अन्य विषयो के साथ समिति के कार्यक्षेत्र (टर्मस ऑफ रेफरेन्स) में निम्न बिन्दु सम्मिलित होंगे :-

(1) समिति द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम एवं निर्मल भारत अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न विभागों की गतिविधियो में समन्वय स्थापित करते हुए इन योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु यथोचित संस्तुति दिया जाना है।

(2) विश्व बैंक सहायतित पूर्वी उत्तर प्रदेश हेतु ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता सम्बन्धी परियोजना हेतु दिनॉक 22.01.2013 को कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में निर्धारित विभागीय उत्तरदायित्वों के अनुपालन व इस परियोजना की प्रगति का अनुश्रवण।

(3) पेयजल, स्वच्छता, स्वास्थ्य तथा सफाई कार्यो का राज्य, जिला, विकास खण्ड एवं ग्राम पंचायत स्तर तक "कन्वरजेन्स" सुनिश्चित करना।

(4) पंचायती राज संस्थाओं / जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन / ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति / समुदायों को इस प्रकार सशक्त किये जाने के सम्बन्ध में संस्तुति देना ताकि उनके द्वारा पेयजल

[illegible]

(5) त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की [illegible] तथा कार्मिकों के हस्तान्तरण की प्रक्रिया उनके टाइम फ्रेम तथा उत्तरोत्तर सुधार को इंगित करते हुए इस प्रकार से गतिविधि मानीटरन करना जिससे कि उनके द्वारा ग्रामीण पेयजल आपूर्ति व स्वच्छता कार्यक्रम का नियोजन, क्रियान्वयन तथा प्रबन्धन किया जा सके।

(6) भूजल निकासी नियंत्रण एवं पुनर्भरण के लिए अधिक दोहन वाले गम्भीर तथा अर्द्ध गम्भीर (डार्क एवं सेमी डार्क) विकास खण्डों में जल आपूर्ति तथा स्वच्छता कार्यक्रम की व्यवस्था।

(7) स्वच्छ पेयजल, स्वास्थ्य व स्वच्छता कार्यक्रमों के अन्तर्गत "आई.ई.सी. स्ट्रेटजी" को "सिनर्जाइज" करना।

(8) जल रिचार्ज, सस्टेनबिलिटी स्ट्रक्चर्स तथा जल संसाधनों के संरक्षण से सम्बन्धित भूमि सुधार कार्यक्रमों की प्राथमिकता निर्धारण एवं सम्बन्धित विभागों में समन्वय ।

(9) स्वच्छ पेयजल व स्वच्छता कार्यक्रम से जुड़े सभी हितभागियों (Stake Holders) की क्षमता संवर्धन किया जाना।

5— भारत सरकार के दिशा–निर्देश के अनुसार ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता सम्बन्धी कार्यों के कन्वरजेन्स की दृष्टि से उपर्युक्तानुसार निर्धारित टी0ओ0आर0 (Terms of Refrence) के अन्तर्गत समिति को सलाहकारी सेवायें यूनीसेफ के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेंगी।

(जावेद उस्मानी)
मुख्य सचिव।

संख्या 759 (1)/अड़तीस–5–2013, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यगण।
2. स्टाफ ऑफीसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3. पंचायती राज अनुभाग–3 / चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अनुभाग–1 / लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग–1 / नगर विकास अनुभाग–5, उत्तर प्रदेश शासन।
4. परियोजना अधिकारी, यूनीसेफ लखनऊ।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजीव कुमार)
प्रमुख सचिव।